न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 41/2016 दायरा दिनांक : 08.03.2016

उनवान

1– श्रीलाल आयु 60 वर्ष पुत्र श्री रामचरण जाति धाकड निवासी भुवाखेडी तहसील छबडा जिला बारां राज0

2– रामस्वरूप आयु 52 वर्ष पुत्र श्री रामचरण जाति धाकड निवासी भुवाखेडी तहसील छबडा जिला बारां राज0

3–रामनिवास आयु 45 वर्ष पुत्र श्री रामचरण जाति धाकड निवासी भुवाखेडी तहसील छबडा जिला बारां राज0

4–मोहनलाल आयु 42 वर्ष पुत्र श्री रामचरण जाति धाकड निवासी भुवाखेडी तहसील छबडा जिला बारां राज0

5–भंवरीबाई आयु 57 वर्ष पुत्रर श्री रामचरण जाति धाकड निवासी भुवाखेडी तहसील छबडा जिला बारां राज0

6–गिरजाबाई आयु 47 वर्ष पुत्री श्री रामचरण जाति धाकड निवासी भुवाखेडी तहसील छबडा जिला बारां राज0

7– चम्पाबाई आयु 82 वर्ष पुत्री श्री रामचरण जाति धाकड निवासी भुवाखेडी तहसील छबडा जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री वाई. एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 14.02.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 163/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि वादीगण के संयुक्त खाते कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 190 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 192 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम भुवाखेडी, तहसील छबडा में स्थित है । उक्त आराजी मकबूजा सरकार वादीगण के नाम दर्ज है । वादीगण की पैतृक भूमि है जो पहले वादीगण के पिता रामचरण व दादा के नाम दर्ज थी जिसको वादीगण अपनी सुविधा के अनुसार काश्त कर रहे हैं । रेकार्ड में मकबूजा सरकार का नाम गलत दर्ज है । मकबूजा सरकार का इस आराजी से कभी कोई सरोकार नहीं रहा है । मकबूजा सरकार का नाम हटाने बाबत राजस्थान सरकार द्वारा कई बार निर्देश दिये गये है । वादीगण का कब्जा पिछले 50–60 वर्षों से निरन्तर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है जो प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में आता है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाये और मकबूजा सरकार का नाम खाते से हटाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.06.2016 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि प्रकरण में बिना पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी में दिनांक 03.06.2016 कैम्प की तारीख नियत की गई । दिनांक 16.12.2015 को पत्रावली जवाब में लम्बित थी जिसको गलत रूप से दिनांक 03.06.2016 को रखा गया है । दिनांक 03.06.2016 को वादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं थे केवल अपीलांट नम्बर 1 हाजिर था । पत्रावली जवाब में लम्बित थी गलत रूप से साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट नम्बर 1 दिनांक 01.08.2016 को वायरल बुखार से पीडित हो गया व दिनांक 30.08. 2016 को स्वथ्य हुआ । दिनांक 03.08.2016 से 30.08.2016 के विलम्ब को कन्डोन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली जवाब दावे में लम्बित थी बिना जवाबदावा लिये, बिना सी पी सी की पालना किये अपीलांट नम्बर 2 लगायत 7 की अनुपस्थिति में कैम्प में निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि आराजी मकबूजा सरकार है जिसको वादीगण के खाते में दर्ज नहीं किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसको कोर्ट कैम्प में रखा गया । दिनांक 03.06.3016 को वादीगण 1 व सरकार उपस्थित तथा शेष वादीगण अनुपस्थित है । पक्षकारों के द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश नहीं किया गया है । उसी दिन दावे को खारिज किया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष में से प्रत्येक पक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । इसके अभाव में सी पी सी की पालना में जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण हे एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा